

Alotment of LPG, Petrol, Diesel and Kerosene Dealership

54, SHRI KAPIL VERMA:
SHRI DAYANAND SAHAY:
DR. RATNAKAR PANDEY:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) the number of letters of intent issued by the previous Samajwadi Janata Party Government for grant of dealerships of LPG, petrol, diesel and Kerosene from its discretionary quota;

(b) what criteria was adopted for allotting these agencies/dealerships and what are the names and addresses of persons who have been allotted these;

(c) what is the number of such cases done after announcement of elections;

(d) in how many cases rules and regulations laid down for the purpose were violated; and

(e) what is present Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI B. SHANKARANAND): (a) to (e) Directions were given to issue 111 Letters of Intent out of which 107 were issued after the notification of elections. It has been directed to suspend further action in all these cases.

मध्य प्रदेश में पर्यटन का विकास

55. श्री अजीत जोगी :
श्रीमती वीणा वर्मा :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या मध्य प्रदेश में विभिन्न पर्यटक स्थलों को विकसित करने की कोई नई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ऐसे धार्मिक पुरातात्विक ऐतिहासिक और वन्य प्राणियों की विपुलता वाले पर्यटक स्थलों को अलग-अलग प्रकार से प्राथमिकता प्रदान करके उन्हें विकसित करने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिधिया) (क) और (ख) यह पर्यटक बगलों तीन भागस्थ सुख-सुविधा दो पर्यटक गृहों, केन नदी तथा बेतवा में महुसीर मछली पालन का विकास, जल क्रीड़ा उपस्कर, टैंटों में आवास, और इन्दौर में स्मारकों पर प्रकाशपुंज व्यवस्था की । 1991-92 के दौरान वित्तीय सहायता देने के लिए प्राथमिकता निर्धारित की गई है ।

(ग) और (घ) पर्यटन आधारीक संरचना का विकास करना मुख्यतः राज्य सरकार का दायित्व है । केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को उनसे मिलने वाले विशिष्ट प्रस्तावों, निधियों की उपलब्ध परस्पर प्राथमिकताओं के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है । धार्मिक पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों पर आधारीक संरचना का विकास करने तथा साथ ही वन्यजीव केन्द्रों का विकास करने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जा रही है ।

नई कोयला खानें

56. श्री अजीत जोगी :

श्रीमती वीणा वर्मा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साउथ ईस्टर्न कोल्फील्ड्स बिलसपुर के अधीन नई कोयला खानों को विकसित करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस०वी० न्यामागौडा) : (क) और (ख) साउथ ईस्टर्न कोल्फील्ड्स लि० में वर्तमान में कोयले का उत्पादन जो

कि उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में खानों का कार्यचालन कर रहा है, वर्ष 1990-91 में 58.08 मि. टन है। इस संबंध में वर्ष 1994-95 में कोयले के उत्पादन में लगभग 66.00 मि.टन तक की वृद्धि किए जाने के लिए योजनाएं तैयार की

गई हैं और इसमें नई परियोजनाओं का लगभग 8.50 मि.टन का योगदान रहेगा। कुछ बड़ी परियोजनाएं, जिन्हें आठवीं पंच-वर्षीय अवधि के दौरान कोयले के उत्पादन में वृद्धि किए जाने के लिए विकसित किए जाने का कार्यक्रम है, व निम्नलिखित हैं:-

		(अंतिम क्षमता)
1. लिंगराज ओपनकास्ट	.	5 मि 0 टन प्रतिवर्ष
2. लखनपुर	"	5 " "
3. अनन्ता	"	4 " "
4. समलेशवरी	"	3 " "
5. कलिंगा	"	8 " "
6. शीतलधारा भूमिगत	.	0.8 " "
7. दुर्गा ओपनकास्ट	.	0.50 " "
8. दिपीका	" विस्तार	10 " "
9. लिहारी	"	0.8 " "
10. बसुन्धरा	"	2.5 " "

मध्य प्रदेश की लम्बित पन-बिजली और ताप बिजली परियोजनाएं

57. श्री अजीत जोशी :

श्रीमती वीणा बर्मा : क्या विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की कुल कितनी

पनबिजली और ताप बिजली परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए इस समय लम्बित पड़ी हुई हैं और ये किन-किन स्तरों पर लम्बित हैं; और

(ख) उन्हें कब तक स्वीकृत कर दिये जाने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) मध्य प्रदेश की चौदह ताप विद्युत और जल विद्युत स्कीमों को निवेश संबंधी अनुमोदन/तकनीकी आर्थिक दृष्टि से अनुमोदन की प्रतीक्षा है, जिनका व्यौरा निम्नवत है :-

परियोजना का नाम	क्षमता (मे०वा०)	के०वि० प्रा० में प्राप्त होने की तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
ताप विद्युत			
1. कोरबा (पश्चिम) विस्तार	2X 210 = 420	3/89	के० वि० प्रा० द्वारा 30-10-89 को तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान की गई। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 27-7-90 को स्वीकृति प्रदान की गई। निवेश संबंधी अनुमोदन अभी दिया जाना है।